निर्मल चन्द बनाम तहसीलदार श्रीमाधोपुर

राज प्रकरण - 121/22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	वकील वादी प्रकरण में और साक्ष्य पेश करना चाहते हैं। वास्ते पेश होने साक्ष्य पत्रावली दिनांक 22-12-22 को पेश हो। दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	
22.12.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई वस्तुस्थिति की तथ्यातमक जांच रिपोर्ट जरिए पत्रांक 2993/भू०अ०/2022 दिनांक 24.11.2022 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। साक्ष्य वादी गवाह में गवाह बाबूलाल पुत्र भंवरलाल गुर्जर के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से बहस सुने जाने का निवेदन किया गया। वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 06.02.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	
06.02.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादी पूर्व में एक पक्षीय सुनी जा चुकी है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बाबत उद्घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। फैसला मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 06/02/23	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.09 16:15:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
121 / 2022	2022 / 201	25.08.2022	06.02.2023

उनवान प्रकरण

निर्मलचन्द पुत्र भंवरलाल आयु 42 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम सीपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

— वादी —

बनाम्

तहसीलदार श्रीमाधोपुर (भूमिधारी राजस्थान सरकार) जिला सीकर (राज0)

— प्रतिवादी —

उपस्थितः–

श्री जे. पी. गुर्जर, एड0 वादी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

दावा बाबत् उद्घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड अंतर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 263 रकबा 0.29 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम सीपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) का वादी हिस्सा 1/6 का खातेदार काबिज काश्तकार है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 112 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 113 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.69 हैक्टर, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 138 रकबा 0.40 हैक्टर कुल किता

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.09 16:15:40 IST
Reason: SelfAttested

06/02/23

5 कुल रकबा 1.75 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम सीपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) का वादी हिस्सा 1/72 का खातेदार काबिज काश्तकार है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 131 रकबा 0.07 हैक्टर और कृषि भूमि खसरा नम्बर 114 रकबा 1.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 132 रकबा 2.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 133 रकबा 2.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 134 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 136 रकबा 1.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 140 रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 142 रकबा 0.88 हैक्टर, खसरा नम्बर 143 रकबा 1.13 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 11.51 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम सीपुर श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) का वादी हिस्सा 3/224 का खातेदार काबिज काश्तकार है। वादी को अपने गांव, समाज बिरादरी में (छोटे रूप में) आम बोलचाल की भाषा में नारू के नाम से पुकारते हैं और नारूराम पुत्र भंवरलाल ही निर्मलचन्द पुत्र भंवरलाल एक ही व्यक्ति है। वादी के पिता भंवरलाल का स्वर्गवास सन् 1998 में होने पर वादी की पैतृक उक्त कृषि भूमियों का विरासत का नामान्तकरण हुआ तो वादी के बड़े भाई ने ही विरासत का नामान्तकरण की कार्यवाही की थी जो अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति था। इसलिए उक्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख में खातेदारी बाबत् विरासत के नामान्तकरण कार्यवाही के वक्त वादी का नाम नारू ही दर्ज हो गया जबकि वादी के समस्त शैक्षणिक रिकार्ड एवं अन्य सरकारी दस्तावेजों मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड जनाधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि सभी में वादी का नाम निर्मलचन्द ही दर्ज हैं और इस प्रकार उक्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख (खतौनीयों) में खातेदारी में वादी का नाम नारू अंकित हैं जबकि अन्य समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम निर्मलचन्द अंकित होने से नाम में भिन्नता होने से आपस में मेल नहीं खाता है। जिससे वादी को अलग व्यक्ति समझा जाता है और वादी का नाम राजस्व अभिलेख में एवं अन्य समस्त सरकारी रिकार्ड दस्तावेजों में भिन्नता होने से वादी सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाता है। जिससे वादी को काफी परेशानी होती है और भ[illegible]भी वादी के गम्भीर विधिक अडचने उत्पन्न होने की संभावनाये [illegible] उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख खतोनियों में वादी का नाम नारू के स्थान पर निर्मलचन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.09 16:15:40 IST
Reason: SelfAttested

06/02/23

सही रूप से अंकित किया जाकर राजस्व अभिलेख खतौनी में दुरूस्ती किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख खतौनियों मे वादी का नाम निर्मलचन्द सही रूप से अंकित किये जाने में ही वादी को सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकेगा। वादी ने अपनी उक्त कृषि भूमियों पर कृषि ऋण कार्ड बनाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर वादी को उक्त राजस्व अभिलेख खतौनियों में वादी का नाम नारू अंकन होने की जानकारी हुई। वादी ने गत वर्ष 2021 में राजस्व अभियान प्रशासन गांवों के संग कैम्प में अपना नाम दुरूस्त करने बाबत् प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात प्रस्तुत किया था। जिस पर आज तक कोई सारपूर्ण कार्यवाही नहीं हुई और अब वादी ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से पुनः प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख खतौनियों में अपना नाम नारू के स्थान पर निर्मलचन्द दुरूस्त कराने बाबत् निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार कर सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने बाबत् कहने पर वादी को माननीय न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी ने तहसीलदार के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दुरूस्ती का निवेदन का प्रयास विफल होने एवं प्रतिवादी द्वारा अर्सा 15 दिन पूर्व इंकार करने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है। इसलिए अन्दर मियाद प्रस्तुत किया है। वादपत्र में प्रतिवादी तहसीलदार को भूमिधारी आवश्यक पक्षकार होने से एवं राजस्व अभिलेख में नाम दुरूस्ती किये जाने का अधिकार होने से पक्षकार बनाया जाकर ग्राम सीपुर पटवार हल्का हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 263 रकबा 0.29 हैक्टर का वादी का हिस्सा 1/6 व कृषि भूमि खसरा नम्बर 112 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 113 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.69 हैक्टर, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 138 रकबा 0.40 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 1.75 हैक्टर में वादी का हिस्सा 1/72 तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 131 रकबा 0.07 हैक्टर में वादी का हिस्सा 3/224 एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 114 रकबा 1.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 132 रकबा 2.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 133 रकबा 2.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 134 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 136 रकबा 1.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.09 16:15:40 IST
Reason: SelfAttested

06/02/23

नम्बर 140 रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 142 रकबा 0.88 हैक्टर, खसरा नम्बर 143 रकबा 1.13 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 11. 51 हैक्टर में वादी का हिस्सा 3/224 का खातेदार नारू पुत्र भंवरलाल के स्थान पर निर्मलचन्द पुत्र भंवरलाल उदघोषित किये जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में किया है। वाद वास्ते उदघोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में वादी स्वंय का मुख्य परीक्षण में एंव वादी साक्ष्य गवाह में पूरण मारवाल पुत्र कल्याणचंद कुमावत, रविन्द्र सिंह पुत्र हणमान सिंह राजपूत व बाबूलाल पुत्र भंवरलाल गूर्जर के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुए। प्रकरण में अंकित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ली गई। जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2993/भू. अ./2022 दिनांक 24.11.2022 के द्वारा प्राप्त हुईं। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से अभिशंषा रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा साक्ष्य वादी में वादी व गवाहान् के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हो जाने से वकील वादी ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं रा... ...ई अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 पांच ... आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, रा0उ0मा0वि0 देवीपु... शाहपुरा का स्थानांतरण पत्र, ग्राम पंचायत हथौरा द्वारा दिनांक 03.08.2022 को जारी प्रमाण पत्र, तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.09 16:15:40 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

06/02/23

श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट, साक्ष्य वादी में प्रस्तुत साक्ष्य वादी व गवाहान् इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पक्षकार वादी के नाम हिस्सानुसार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। वादी साक्ष्य में गवाहान् पूरण मारवाल पुत्र कल्याणचंद कुमावत, रविन्द्र सिंह पुत्र हणमान सिंह राजपूत व बाबूलाल पुत्र भंवरलाल गूर्जर के द्वारा लिखितशुदा शपथ पत्रों से भी वादी के वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम सीपुर पटवार हल्का हथौरा के खाता संख्या 263 रकबा 0.29 है0, खाता संख्या 12 किता 11.51 है0, खाता संख्या 24 किता 5 रकबा 1.75 है0, खाता संख्या 25 ख0न0 131 रकबा 0.07 है0 में वादी का नारू पुत्र भंवर लाल जाति गुर्जर हि0 कमंशः 1/6, 3/224, 1/72, 3/224 राहिन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अजीतगढ दर्ज रिकार्ड है। वादी के दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में भंवर लाल दर्ज है। वादी का राजस्व रिकार्ड में अंकन विरासत के हुआ है। जो विरासत के बरद लगातार चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड के दर्ज नाप नारु पुत्र भंवर लाल व दस्तावेज में अंकन नाम निर्मल चन्द पुत्र भंवर लाल एक ही व्यक्ति का नाम है, अलग–अलग व्यक्ति नहीं हैं। राजस्व रिकार्ड ग्राम सीपुर पटवार हल्का हथौरा के खाता सं0 2, 12, 24, 25 में वादी नारु पुत्र भंवर लाल के स्थान पर निर्मल चन्द पुत्र भंवर लाल शुद्धि किया जाना प्रस्तावित हैं। अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादी का नाम नारू पुत्र भंवरलाल के स्थान पर निर्मलचन्द पुत्र भंवरलाल राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.09 16:15:40 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत उद्घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि

06/02/23

भूमि खसरा नम्बर 263 रकबा 0.29 हैक्टर का वादी का हिस्सा 1/6 व कृषि भूमि खसरा नम्बर 112 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 113 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.69 हैक्टर, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 138 रकबा 0.40 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 1.75 हैक्टर में वादी का हिस्सा 1/72 तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 131 रकबा 0.07 हैक्टर में वादी का हिस्सा 3/224 एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 114 रकबा 1.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 132 रकबा 2.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 133 रकबा 2.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 134 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 136 रकबा 1.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 140 रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 142 रकबा 0.88 हैक्टर, खसरा नम्बर 143 रकबा 1.13 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 11.51 हैक्टर में अवस्थित तन् ग्राम सीपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 का वादी का हिस्सा 3/224 का खातेदार नारू पुत्र भंवरलाल के स्थान पर निर्मलचन्द पुत्र भंवरलाल उद्घोषित किया जाता है तथा वादपत्र में सन्दर्भित कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में नारू पुत्र भंवरलाल के स्थान पर निर्मलचन्द पुत्र भंवरलाल का नाम राजस्व अभिलेख राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त फरमाये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

06/02/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/02/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.09 16:15:40 IST
Reason: SelfAttested